परिपत्र संख्या 4/2010

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :–एफ.7(39)जन./2010/1414 दिनांक : 28·01·2010

विषय : विभागीय परिपत्र संख्या 3/2010 के क्रम में।

विभागीय परिपत्र संख्या 3/2010 के संबंध में विभाग के विभिन्न अधिकारियों तथा कुछ व्यक्तियों से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु सन्दर्भ प्राप्त हुए है। इन पर विचारोपरान्त पुनः निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

1.0 परिपत्र संख्या 3/2010 पंजीयन अधिनियम की धारा 17(g), 18, 20, 21, 32, 32ए, 33, 34(1), 34(3), 35, व 52 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया गया है।

2.0 यह परिपत्र माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की जयपुर बैंच द्वारा एस.बी. क्रिमनिल विविध रिट याचिका संख्या 922/2007 सफी मोहम्मद बनाम अन्य व राजस्थान राज्य में दिनांक 7.2.07 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व पावर ऑफ अटॉर्नी गृहिता की पहचान स्थापित करने के लिए जारी किया गया है।

3.0 यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :–

3.1 जैसा कि परिपत्र संख्या 3/2010 में भी उल्लेखित है कि प्रत्येक पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीयन आवश्यक नहीं है।

3.2 परिपत्र 3/2010 की मंशा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर व पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व्यक्ति की पहचान तथा पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला व्यक्ति जीवित है और प्रथम दृष्ट्या पावर ऑफ अटॉर्नी में वर्णित सम्पत्ति उसके स्वामित्व की है, यह सुनिश्चित करना है।

3.3 परिपत्र संख्या 3/2010 का उद्देश्य पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में इमप्रसोनेशन से या अन्य प्रकार से फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी रोकना है।

3.4 सद्भावी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर व पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की पहचान स्थापित होने के पश्चात् उन्हे दस्तावेज पंजीयन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडे और दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के दिन ही बाद पंजीयन लौटाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.0 विभिन्न स्त्रोतो से यह भी ध्यान में आया है कि कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेजों में पावर ऑफ अटॉर्नी भिन्न स्याही, हस्तलेख में या टाईप में लिखी हुयी होती है और उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का नाम पता इत्यादि भिन्न स्याही, हस्तलेख या टाईप से लिखा होता है या उन में कॉट–छॉट होती है। इस प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी की सही प्रकार से जांच पडताल करना, उनका सत्यापन करना, पंजीयन अधिकारी का दायित्व व कर्त्तव्य है, जिसका निर्वहन आवश्यक है।

महानिरीक्षक, 28/1/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :–एफ.7(39)जन./2010/1415-1863 दिनांक : 28·01·2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, (राजस्व)वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर की वेबसाईट www.rajastamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6 अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
8. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक, कार्यालय उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाऍ, मुख्यालय, अजमेर।

28/1/10
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर